न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती सोनू आर्य**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का ~~खौह~~ मनकसास

बनाम

श्री शैतान रामकरण पुत्र श्री भगुताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खौह तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णयः–

प्रकरण संख्याः– ~~66 / 2020~~ 48/2020 82 दिनांक 14.07.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मनकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.13 है0 किस्म बारानी 3 रकबा 0.01 व गै0 मु0 पहाड़ 0.12 है0 व खसरा नं. 781 रकबा 0.36 है0 किता 2 का कुल रकबा 0.49 है0 मेंसे 0.49 है0 सरकारी भूमि पर शैतान रामकरण पुत्र श्री भगुताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खौह ने अनाधिकृत रुप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई जबाब पेश नहीं किया है, बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.13 है0 किस्म बारानी 3 रकबा 0.01 व गै0 मु0 पहाड़ 0.12 है0 व खसरा नं. 781 रकबा 0.36 है0 किता 2 का कुल रकबा 0.49 है0 मेंसे 0.49 है0 सरकारी भूमि पर से शैतान रामकरण पुत्र श्री भगुताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खौह को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.80 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 40/–रुपये (अक्षरे रू चालीस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

वर्ष 2021-22 पृ.सं. 58

रकम 40 शास्ति + 160

तहसीलदार

(सोनू आर्य)

तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:41:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:41:53 IST
Reason: SelfAttested